न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 04/2024

दायर दिनांकः 13.02.2024

निर्णय दिनांक 16.01.2026

—: अनवान :—

भुरसिंह पिता श्री केसरसिंह जी राणावत जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत टांटोल जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कमलाकुंवर पत्नि श्री मनोहरसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री मनोहरसिंह पिता श्री अभयसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री विजयसिंह पिता श्री अभयसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्री दौलतसिंह पिता श्री अभयसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्री रायसिंह पिता श्री अभयसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रवणसिंह उर्फ तेजसिंह गोदपुत्र श्री देवीसिंह जी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती केशरकुंवर पत्नी स्व. देवीसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती केशरकुंवर पत्री स्व. देवीसिंह जी जाति राजपूत निवासी टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द (राज)

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1— श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार

2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 से 08 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 हिन्दू परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित है। ग्राम टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द में एक भूखंड आबादी में स्थित है जिसके पड़ौस इस प्रकार है कि पूर्व में– आम रास्ता एवं दशामाता का चबूतरा, पश्चिम में– देवीसिंह जी का मकान, उत्तर में– रास्ता एवं उसके आगे राजेश जी नगारची का भूखंड एवं दक्षिण में– रास्ता होकर इन पडौसो मध्य स्थित उक्त भूखंड ग्राम टांटोल की आबादी भूमि आराजी संख्या 844 में अवस्थित होकर उक्त भूखंड का माप उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 67 फीट एवं पश्चिम में पूर्व उतर दिशा में 35 फीट एवं दक्षिण दिशा में 34 फीट है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूखंड प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई स्व. देवीसिंह जी एवं स्व. अभयसिंह जी के संयुक्त आधिपत्य का था और प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई उक्त स्व. देवीसिंह जी एवं स्व. अभयसिंह जी ने वादग्रस्त भूखंड का विभाजन आपसी सहमती से कर लिया तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये और उनके बाद उक्त विभाजित हिस्सों पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 काबिज होकर उनका उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 के परिवार का सजरा इस प्रकार है कि

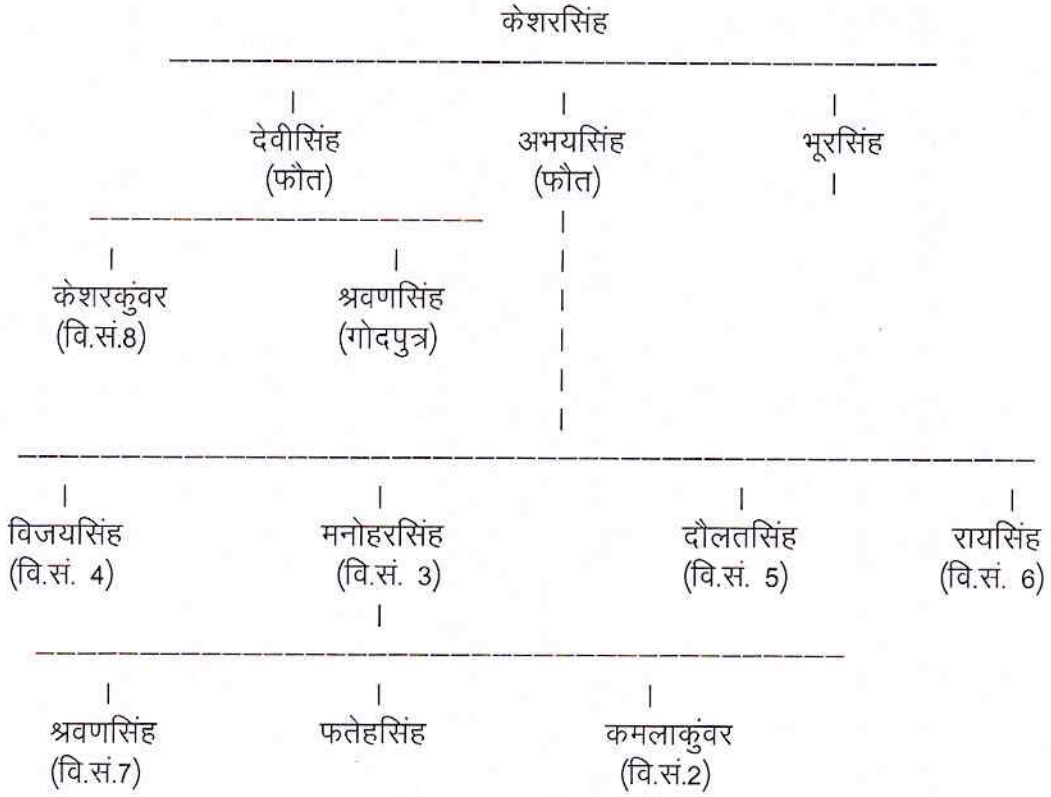

उक्त वर्णित सजरे अनुसार देवीसिंह जी के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी की सहमती से अपने भाई अभयसिंह के पुत्र मनोहरसिंह

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(विपक्षी सं.03) के पुत्र श्रवणसिंह उर्फ तेजसिंह को समाज में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार गोद रखा और विपक्षी संख्या 02 उक्त मनोहरसिंह (विपक्षी सं.03) की पत्नी है। नजरी नक्शे एवं आपसी विभाजन अनुसार वादग्रस्त भूखंड का 'A' चिन्ह में चिन्हित भाग देवीसिंह जी के हिस्से में आया और 'B' चिन्ह से चिन्हित भाग प्रार्थी भूरसिंह के हिस्से में आया तथा 'C' चिन्ह से चिन्हित भाग अभयसिंह के हिस्से में रखा गया जिस पर प्रार्थी एवं उनके भाई उक्त देवीसिंह जी एवं अभयसिंह जी उनके जीवनकाल तक काबिज रहे और उक्त देवीसिंह जी एवं अभयसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उनके पदचिन्हों पर होने से विपक्षी संख्या 02 से 08 एवं प्रार्थी काबिज है। विपक्षी संख्या 02 जो कि तात्कालिक समय में वार्ड पंच होने से तात्कालिक सरपंच ग्राम पंचायत टांटोल से मिलीभगत एवं दुरभिसंधि कर प्रार्थी की बिना जानकारी में प्रार्थी के पीठ पीछे पोशीदा तौर पर उपरोक्त संयुक्त भूखण्ड जिसका नजरी नक्शे अनुसार पक्षकारों के पूर्वाधिकारी के मध्य आपसी सहमती से विभाजन हो गया था यह जानते हुए विपक्षी संख्या 02 एवं 03 ने विपक्षी संख्या 01 को मिथ्या जानकारी देते हुए विपक्षी संख्या 02 एवं 03 के पूर्वाधिकारी के हिस्से में आये भाग जिसे 'A' चिन्ह से चिन्हित किया गया है में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के हिस्से में आये भाग जिसे 'B' चिन्ह से चिन्हित किया गया है को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा क्रमांक 29 दिनांक 29.10.2021 को अपने नाम जारी करवा लिया जिसे संलग्न नजरी नक्शे में 'X' चिन्ह से चिन्हित कर लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत तथा प्रार्थी के मुकाबले आरम्भ से प्रभावहीन, प्रभावशून्य, व्यर्थ एवं बेअसर है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने वार्ड पंच होने का नाजायज लाभ उठाते हुए और अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए उक्त पट्टा गलत एवं मिथ्या आधारों पर मकान के सम्बन्ध में चाहते हुए बनवाया जबकि वादग्रस्त भूमि पर कोई स्थायी निर्माण नहीं है ग्राम पंचायत टांटोल को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में बिना प्रार्थी को सुनवाई का उचित एवं पर्याप्त अवसर दिए बिना दिनांक 29.10.2021 को जारी किया गया पट्टा अपने क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि के सर्वथा विपरीत है और ग्राम पंचायत टांटोल को आबादी भूमि में विपक्षी संख्या 02 के नाम उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था न है। प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे की कोई जानकारी नहीं रहीं वरन जब विपक्षी संख्या 02 एवं उसके पति विपक्षी संख्या 03 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड पर उक्त अवैध पट्टे की आड़ में निर्माण करवाने का प्रयास किया गया और प्रार्थी द्वारा रोकने पर पट्टे होने का कहकर प्रार्थी को धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत टांटोल को अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन सुचना पत्र दिनांक 03.08.2023 को भी प्रेषित किया गया परन्तु विपक्षी संख्या 01 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी अतः प्रार्थना है कि ग्राम टांटोल तहसील खमनौर जिला राजसमन्द की आबादी भूमि आराजी संख्य 844 में विपक्षी संख्या 02 के नाम जारी पट्टे दिनांक 29.10.2021 को विधि के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त फ़रमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत टांटोल से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार/अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 02.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। एवं अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 हिन्दू परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित है। ग्राम टांटोल, तहसील खमनौर जिला राजसमन्द में एक भूखंड आबादी में स्थित भूखंड ग्राम टांटोल की आबादी भूमि आराजी संख्या 844 में अवस्थित होकर उक्त भूखण्ड का माप उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 67 फीट एवं पश्चिम में पूर्व उतर दिशा में 35 फीट एवं दक्षिण दिशा में 34 फीट है। उक्त वर्णित भूखंड प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई स्व. देवीसिंह जी एवं स्व. अभयसिंह जी के संयुक्त आधिपत्य का था और प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई स्व. देवीसिंह जी एवं स्व. अभयसिंह जी ने वादग्रस्त भूखंड का विभाजन आपसी सहमती से कर लिया तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये और उनके बाद उक्त विभाजित हिस्सों पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 काबिज होकर उनका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वादग्रस्त संयुक्त भूखण्ड के विभाजन स्वरुप जिसके हिस्से में जो भाग आया उसको नजरी नक्शे में 'A', 'B' एवं 'C' चिन्ह से चिन्हित किया गया है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 से 08 के परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र में वर्णित कॉलम संख्या के अनुसार है। उक्त वर्णित सजरे अनुसार देवीसिंह जी के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी की सहमती से अपने भाई अभयसिंह के पुत्र मनोहरसिंह (विपक्षी सं.03) के पुत्र श्रवणसिंह उर्फ तेजसिंह को समाज में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार गोद रखा और विपक्षी संख्या 02 उक्त मनोहरसिंह (विपक्षी सं.03) की पत्नी है। नजरी नक्शे एवं आपसी विभाजन अनुसार वादग्रस्त भूखंड का 'A' चिन्ह में चिन्हित भाग देवीसिंह जी के हिस्से में आया और 'B' चिन्ह से चिन्हित भाग प्रार्थी भूरसिंह के हिस्से में आया तथा 'C' चिन्ह से चिन्हित भाग अभयसिंह के हिस्से में रखा गया जिस पर प्रार्थी एवं उनके भाई उक्त देवीसिंह जी एवं अभयसिंह जी उनके जीवनकाल तक काबिज रहे और उक्त देवीसिंह जी एवं अभयसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उनके पदचिन्हों पर होने से विपक्षी संख्या 02 से 08 एवं प्रार्थी काबिज है। विपक्षी संख्या 02 जो कि तात्कालिक समय में वार्ड पंच होने से तात्कालिक सरपंच ग्राम पंचायत टांटोल से मिलीभगत एवं दुरभिसंधि कर प्रार्थी की बिना जानकारी में प्रार्थी के पीठ पीछे पोशीदा तौर पर उपरोक्त संयुक्त भूखंड जिसका नजरी नक्शे अनुसार पक्षकारों के पूर्वाधिकारी के मध्य आपसी सहमती से विभाजन हो गया था यह जानते हुए विपक्षी संख्या 02 एवं 03 ने विपक्षी संख्या 01 को मिथ्या जानकारी देते हुए विपक्षी संख्या 02 एवं 03 के पूर्वाधिकारी के हिस्से में आये भाग जिसे 'A' चिन्ह से चिन्हित किया गया है में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के हिस्से में आये भाग जिसे 'B' चिन्ह से चिन्हित किया गया है को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा क्रमांक 29 दिनांक 29.10.2021 को अपने नाम जारी करवा लिया जिसे संलग्न नजरी नक्शे में 'X' चिन्ह से चिन्हित कर लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत तथा प्रार्थी के मुकाबले आरम्भ से प्रभावहीन, प्रभावशून्य, व्यर्थ एवं बेअसर है। ग्राम पंचायत टांटोल को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में बिना प्रार्थी को सुनवाई का उचित एवं पर्याप्त अवसर दिए बिना दिनांक 29.10.2021 को जारी किया गया पट्टा अपने क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि के सर्वथा विपरीत है और ग्राम पंचायत टांटोल को आबादी भूमि में विपक्षी संख्या 02 के नाम उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था न है। प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे की कोई जानकारी नहीं रहीं वरन जब विपक्षी संख्या 02 एवं उसके पति विपक्षी संख्या 03 द्वारा वादग्रस्त भूखंड पर

उक्त अवैध पट्टे की आड़ में निर्माण करवाने का प्रयास किया गया और प्रार्थी द्वारा रोकने पर पट्टे होने का कहकर प्रार्थी को धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत टांटोल को अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन सुचना पत्र दिनांक 03.08.2023 को भी प्रेषित किया गया परन्तु विपक्षी संख्या 01 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी अतः प्रार्थना है कि ग्राम टांटोल तहसील खमनौर जिला राजसमन्द की आवादी भूमि आराजी संख्य 844 में विपक्षी संख्या 02 के नाम जारी पट्टे दिनांक 29.10.2021 को विधि के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त फ़रमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत टांटोल द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के तहत जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन ये जाहिर हुआ है कि पट्टा पत्रावली में प्रार्थी का आवेदन का पत्र संलग्न है जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसमें पटवारी रिपोर्ट भी लगी हुई है जो दिनांक 07.05.2018 को की गयी है। इसमें एक पूर्व मुद्रित मौका पर्चा भी लगा हुआ है जो दिनांक 10.02.2021 को बनाया जाना प्रकट हुआ है। आपत्ति आव्हान आमंत्रित करने का नोटिस भी पत्रावली में लगा हुआ है जो दिनांक 21.10.2021 को जारी किया जाना जाहिर हुआ है। इसमें गवाह श्री अम्बालाल के बयान है जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसी प्रकार अन्य गवाह श्री चतरभुज के बयान पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसमें एक शपथ पत्र श्रीमती कमलाकुंवर का भी संलग्न है। जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। कमला कुंवर का अन्य शपथ पत्र जो कि 200 रूपये के स्टाम्प पर लगाया गया है। जो कि दिनांक 06.07.2017 को बनाया गया है। इसमें एक चालु शौचालय का प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है। जिस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है सरपंच के हस्ताक्षर भी खाली है। पत्रावली में एक बाड़े का फोटो भी लगा हुआ है जिसमें एक टीनशेड रखा गया है। जिसकी स्थिति को देखकर लगता है कि यह जानवर रखने के लिए बाड़े के रूप में काम आता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने इसमें देवीसिंह द्वारा निष्पादित एक वसीयत प्रस्तुत की है जिसमें स्वयं देवीसिंह का कहना है कि उसके पास में एक बाड़ा था जिसका क्षैत्रफल 1584 वर्गफीट था जिसमें से दिनांक 20.01.2017 को आधा भाग उसने श्री मनोहर सिंह को बेच दिया था और अब वह बाड़े का स्वामी और मालिक है। और उसकी वसीयत पत्नि केसर कुंवर और तेजसिंह को कर रहा है। साथ ही निगरानी दायर हुई है उसमें पट्टा जारी हुआ है। वह खाली भूखण्ड अथवा बाड़े का ही पट्टा प्रकट हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगा हुआ फोटो और अन्य दस्तावेज भी उसके मकान होने की पुष्टि नहीं करता है। अतः विवादित पट्टा दिनांक 29.10.2021 को ग्राम पंचायत टांटोल द्वारा जारी किया गया है वह पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है परन्तु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत किसी पुश्तैनी मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है ना कि किसी खाली भूखण्ड अथवा बाड़े का पट्टा जारी किया जा सकता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टांटोल द्वारा पट्टा जारी करने में विधिक अनियमितताएं तथा वैधानिक प्रक्रिया में अनियमितताएं की है साथ ही खाली बाड़े का पट्टा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी कर दिया। जो मै, उचित नहीं समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टांटोल जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 29.10.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत टांटोल को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)